19.12.25

Notpm

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वादी वकील द्वारा आदेशिका पर Notpress का अंकन कर इस वाद को और आगे नहीं चलाने की इच्छा जाहिर की। अतः वाद वादी Notpress से खारिज निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)